

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण  
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005  
ईमेल—dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141-2740538,2741687  
वेबसाईट:— rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक:- निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21

2084 T 2092K दिनांक:-

03-01-2022

प्रबन्ध निदेशक/महा प्रबन्धक,  
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक,  
बैंक ऑफ बडौदा, यूको बैंक, इंडियन बैंक,  
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,  
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,  
जयपुर।

विषय:- राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से माह दिसम्बर की पेंशन (जो 01.01.2022 से देय होती है) का भुगतान बैंक द्वारा दिनांक 01.01.2022 से बंद करने हेतु।

प्रसंग:- इस विभाग का पूर्व पत्रांक निपेवि/ पीसी/ ई-कुबेर / 2020-21/ 1661-1669-K दिनांक 16.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा राजस्थान सरकार ने पत्र क्रमांक प.10(11)वित्त/राजस्व/2015/लूज दिनांक 16.12.2021 में दिये निर्देशानुसार निम्नलिखित बजट मदों से संबंधित सिविल सेवा पेंशन माह दिसम्बर 2021 से बंद करने के निर्देश दिये गये थे:-

क्र.सं.	पेंशन का प्रकार	बजट मद
1	Civil Pension	2071-01-101-01-00
2	Family Pension	2071-01-105-01-01
3	Panchayat Samiti Civil	2071-01-110-01-00
4	Panchayat Samiti Family	2071-01-110-01-00
5	Municipal Civil	8011-00-106-02-00
6	Municipal Family	8011-00-106-02-00
7	Khadi Civil	2071-01-110-03-00
8	Khadi Family	2071-01-110-03-00
9	AIS Civil	8658-00-101-09-01
10	AIS Family	8658-00-101-09-01
11	NPS Family	2071-01-200-01-00
12	Judge Civil	2071-01-101-01-00
13	Judge Family	2071-01-105-01-01
14	AIS-NPS-Family	8658-00-101-09-03
15	High Court Magistrate	2071-01-106-01-01


निम्न हस्ताक्षर कर्ता के ध्यान में लाया गया है कि आपके द्वारा निम्न बजट मद से माननीय पूर्व विधायको को पेंशन/कोटुम्बिक पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं



विधानसभा के माननीय विधायको की पेंशन भी आप द्वारा बंद कर दी गयी है जो उचित नहीं है। बजट मद:-

- 2071 - पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति हितलाभ
- 01 - सिविल पेंशन
- 111 - विधायको को पेंशन
- 84 - पेंशन एवं सेवानिवृति लाभ

कृपया उक्त बजट मद के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली माननीय विधायको की पेंशन/कोटुम्बिक पेंशन पूर्वानुसार ही भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय  
  
(संजय सोलंकी)  
निदेशक